Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **भगवान लाल**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र** नं0 **022** सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.06.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा का चिंतन–मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षीगण द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किया गया एवं बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 098/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम भगवानलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 10.08.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 16,00,168/– अक्षरे सोलह लाख एक सौ अडसठ रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय न्यायालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/184 दिनांक 28.01.2022 से प्राप्त चैक जो कि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 07.06.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official